न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ीन अधिकारी:–अनूप सिंह (आरoएoएसo)

ुoनo
/2024

ताoरजू
14.06.2024

निर्णय दिनांक
09/01/2025

मुरारीलाल पुत्र श्री जिलाराज जाति माली उम्र 33 साल निवासी ग्राम मानराजपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।
विजय सिंह पुत्र श्री नोना जाति बंजारा उम्र 60 साल,
दिवान पुत्र तोता जाति बंजारा उम्र 55 साल,
गुलाब पुत्र दरबारी जाति बंजारा उम्र 40 साल,
जैलिया पुत्र दरबारी जाति बंजारा उम्र 35 साल,
पप्पू पुत्र दरबारी जाति बंजारा उम्र 32 साल,
प्रीतम पुत्र दरबारी जाति बंजारा उम्र 25 साल,
पीरू पुत्र सागर जाति बंजारा उम्र 40 साल,
हनुमान पुत्र सागर जाति बंजारा उम्र 30 साल,
माधव पुत्र सागर जाति बंजारा उम्र 37 साल
समस्त निवासीयान ग्राम बंजारो की ढाणी मानराजपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए, आरoटीoएक्टo</u>

ात:–
श्री रामस्वरूप साहू एडo प्रार्थी की और से।

:– निर्णय –:

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

ार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र [illegible] अंतर्गत धारा 251 रoटीoएक्टo पेश किया जिसका [illegible] है कि राजस्व ग्राम नपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के खाता [illegible]o 1 केखसरा संo [illegible] 0.38 हैo बंजड, खसरा संo 805 रकबा 0.20 हैo बंजड, खसरा सं० 806

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.03 है0 बंजड, खसरा सं0 799 रकबा 0.30 है0 बंजड राजस्थान सरकार की भुमिया है तथा खाता सं0 155 का खसरा सं0 804 रकबा 0.38 है0 बारानी 2 अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि है। सागर व दरबारी का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी अपनी इन भुमियो पर काश्त करने के आने जाने व कृषि सामान ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए आज तक राजस्व ग्राम मानराजपुरा खसरा सं0 778 व 779 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा सं0 803, 804, 805, 799 में होकर आता जाता रहा है। इस रास्ता को इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा ट्रेश मे लाल लाईनों से सीमित कर दर्शाया गया है। जो 15 फिट चौड़ा है। प्रार्थी इस वर्ष की फसल के हकाई जुताई के लिए दिनांक 09.06.2024 सुबह 10 बजे को इस रास्ता मे होकर अपने खेतो मे जाने लगा तो अप्रार्थीगण 2 लगायत 10अपने हाथो मे लाठिया लेकर आये और बोले अब तूझे हमारे खेत मे होकर नहीं निकलने देंगे। इस पर प्रार्थी ने उन्हे समझाना चाहा कि वह तो हमेशा इसी रास्ता से आता जाता रहा है तो अब क्यो रोक रहे है लेकिन वे नही माने और इस रास्ते से प्रार्थी को नही जाने दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि अपने खेतो तक आने जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश कर नियमानुसार रास्ता प्राप्त करें। यदि रास्ता नही दिया जाता है तो प्रार्थी अपने खेतो पर नही जा सकेगा व खेत खाली रह जायेंगे जिससे प्रार्थी व उसके परिवार की भूखो रहने की नौबत आ जायेगी। इसलिए प्रार्थी के लिए यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त प्रकार सक वाद कारण श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ। जिसकी सुनवाई का माननीय न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर संख्या 778, 779 से अपने खेत खसरा संख्या 813 व 812 में जाने के लिए खसरा संख्या 803, 804, 805, 799 में 15 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक दर्ज करवाये। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 को पाबन्द फरमाये जावे कि प्रार्थी के खेतो मेजाने वाले इस रास्ता मे कोई बाधा अवरोध उत्पन्न नही करे। खसरा सं0 803, 805, 799 राजस्थान सरकार की भुमिया ... लेण्ड होल्डर हैं इसलिए अप्रार्थी सं० 1 को पक्षकार बनाया गया है। ... धारा 251 क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अन्दर मियाद ... पेश किया है। बकिया उज्रात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश मय शपथ पत्र कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

ादन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा सं0 812 813 मे जाने के लिए खसरा सं0 778 व 779 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा 803, 804, 805,799 में होकर रास्ता जिसको इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश शा ट्रेश मे लाल लाईनो से सीमित कर दर्शाया गया है। 15 फिट चौडा रास्ता ाशा करवा कर प्रार्थी से नियमानुसार रास्ते की उपयोगकी भुमि की वर्तमान लसी दर से राशि जमा करवाकर गैर मुमकिन सिवायचक रास्तादर्ज फरमाया ो। तथा रास्ता कायम करने के लिए तहसीलदार सवाई माधोपुर कोनिर्देश ी फरमाए जावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस बी की गयी। बाबजूद तामिल होने पर अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया के मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता 116 खसरा नंबर 812 रकबा 0. है0 व ख0न0 813 रकबा 0.68 है0 मुरारीलाल पुत्र जिलाराम जाति माली ासी मानराजपुरा खातेदार दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी का रास्ता बंद है। प्रार्थी खातेदारी भूमि के निकटतम मानराजपुरा से लक्ष्मीपुरा जाने वाला रास्ता लता है। खसरा नंबर 803,804,805,799 से होकर खातेदारी भूमि खसरा नंबर ,812 में आने जाने का रास्ता सुगम रहेगा। रास्ता दिया जाना आवश्यक है। ान में प्रार्थी के अपास आवागमन वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कोई विकल्प भी नहीं है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं वांछित रास्ते की चौडाई 4 मी0 रहेगी। वाद का बिंदु संख्या 8 व 9 अपेक्षित है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में खसरा नंबर 803 में 84 मी.xमी= 336 वर्ग खसरा नंबर 805 में से 92 मी.x4 मी= 368 वर्ग मी खसरा नंबर 799 में से x4= 160 वर्ग मी. खसरा नंबर 804 में से 4मीx4मी=16 वर्ग मीटर कुल 880 मीटर भूमि दी जानी है। जिनकी डीएलसी के ... खसरा नंबर 803 में 4 खसरा नंबर 805 में 39368 खसरा नंबर 799 में ... व 804 में 1710 94138 प्रतिकर राशि बनती है। प्रस्तावित रास्ते में वर्तमान में कोई पेड है। विशेष:– वांछित रास्ते की भूमि में खसरा नंबर 803,805 व 799 कीय सिवायचक भूमि व खसरा नंबर 804 निजी खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने बहस
ते हुऐ निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 812 व 813
स्व ग्राम मानराजपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर में कृषि कार्य हेतु
। जाने के लिये प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि के सहारे चरपेटवा स्थित
रा नम्बर 778 व 779 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 803, 804, 805,
में होकर रास्ता संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दिलाया जावें तथा
ीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिलवाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सूनी एवं उनका मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में
ुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त खातेदारी
खसरा नम्बर 812 व 813 राजस्व ग्राम मानराजपुरा, तहसील व जिला सवाई
ोपुर में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम
राजपुरा के खसरा नम्बर 803, 804, 805, 799 में होकर जाना चाहते है
का समर्थन तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट से होता है। तहसीलदार
ई माधोपुर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर ही
िया की खातेदारी में पहुचने के लिए मौके की स्थिति के अनुसार नजदीक व
धाजनक होगा। अन्य जगह में रास्ता दिया जाना सम्भव नही होगा। उक्त
न्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि
ी के खेत के पास से गुजरने वाला स्वीकृत कोई रास्ता नही है। अतः
स्व ग्राम मानराजपुरा के खसरा नंबर 803 में 84 मी.x मी= 336 वर्ग मी.,
रा नंबर 805 में से 92 मी.x 4 मी= 368 वर्ग मी खसरा नंबर 799 में से 40मी
= 160 वर्ग मी. खसरा नंबर 804 में से 4मी x 4मी=16 वर्ग मीटर कुल 880
मीटर जो अप्रार्थी की भूमि होने से प्रार्थीया को डी0एल0सी0 की दर से
ान देय होगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त फर्द मौका धारा 251 ए
टीएक्ट में अंकित्त किया है कि प्रार्थीया के पास साधन निकालने का अन्य
रास्ता नही है तथा अन्य कोई पेड या खचार्ज नही है। प्रकरण में
स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा [illegible] का अवलोकन किया
। धारा के अनुसार " कोई अभिधारी अपनी [illegible] [illegible] के प्रयोजन के
किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर [illegible] पाईपलाईन बिछाना
ता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का [illegible] समूह अपनी जोत या,
स्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है एक अभिधारी या यथास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें उप–खण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –(यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।)" आवेदन को अभिधारी जो भूमि को धारित करता है, दर्शित लाईन के सा–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे बिछाने एवं एक नया मार्ग तीस फुट से अधिक चौडा न बनाने एवं विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए अभिधारी को उसे उस भूमि का धारित करता है जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जायेए ऐस संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायें" उक्त रास्ते के संदर्भ में तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं परिशिष्ट ए में समर्थन किया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते

:– कियात्मक आदेश–:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 812 रकबा 0.35 हैक0 व खसरा नम्बर 813 रकबा 0.68 हैक0 हैक0 ग्राम मानराजपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि तक आने जाने के लिए राजस्व ग्राम मानराजपुरा के खसरा नंबर 803 में 84 मी.x मी= 336 वर्ग मी., खसरा नंबर 805 में से 92 मी. x 4 मी.= 368 वर्ग मी. खसरा नंबर 799 में 40मी x 4= 160 वर्ग मी. खसरा नंबर 804 में 4 मी. x 4 मी.= 16 वर्ग मीटर कुल 880 वर्ग मीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता रिकार्ड ... लगानी के नाम से दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करें। सारणी अनुसार रास्ते मे आने वाले ग्राम मानराजपुरा की सिंचित भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

0एल0सी0दर 624000 लाख प्रति हैक्0 है। प्रार्थीया को अप्रार्थी के खाते मे मा करानी होगी। खाते में जमा करवाकर अप्रार्थीगण के राजस्व नक्शे मे नजरी क्शे अनुसार रास्ता कायम किया जावें।

	रकबा	लम्बाईगचौडाई (मीटर मे)	वह क्षेत्रफल जिसमें रास्ता दर्ज होगा	डीएलसी दर 624000 का दुगनी राशि जो अप्रार्थीगणों के खाते में जमा होगी।	अप्रार्थीगण/खातेदारों का नाम जिसकों राशि खाते में जमा होगी।
)3	0.38 हैक्0	84 x 4 = 336 m²	0.0336	41933/–	राज्य सरकार
)5	0.20 हैक्0	92 x 4 = 368 m²	0.0368	45930/–	राज्य सरकार
)9	0.30 हैक्0	40 x 4 = 160 m²	0.0160	19970/–	राज्य सरकार
4	0.38 हैक्0	4 x 4 = 16 m²	0.0016	2000/–	खसरा नम्बर 804 के सभी खातेदारो को हिस्से अनुसार भुगतान किया जावें।

प्रार्थी को राजस्व ग्राम मानराजपुरा के खसरा नंबर 803 में 84 मी.x : 336 वर्ग मी., खसरा नंबर 805 में से 92 मी.x 4 मी= 368 वर्ग मी खसरा नंबर) में से 40मी x 4= 160 वर्ग मी. खसरा नंबर 804 में से 4मी x 4मी=16 वर्ग ़र कुल 880 वर्ग मीटर रास्ता अप्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि में होने से एल0सी0 दर का दुगना जमा होगा एवं प्रार्थीया के आने जाने का रास्ता यम कर रास्ता सुचारू करवाया जावे। निर्णय के साथ संलग्न नजरी नक्शें में ल रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार सवाई ोपुर को दिये जाते है निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को नार्थ हेतु भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे ा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल ार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनुप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner